क्रम संख्या–07 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 27 जनवरी, 2021 ई0

माघ 07, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 26 / XXXVI (3) / 2021 / 79(1) / 2020

देहरादून, 27 जनवरी, 2021

### अधिसूचना

### विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020'** पर दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 05, वर्ष–2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम, 2020

## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड राज्य के शहीदों की विधवा/आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्हत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

### अध्याय एक

### प्रारम्भिक

**संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "**उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम, 2020** है।

(2) यह ऐसे रक्षा बलों व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की विधवाओं/आश्रितों, जो युद्धों, सीमान्त झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में दिनांक 05 मार्च 2014 को अथवा उसके पश्चात उक्त जंगी कार्रवाई (आपरेशन) में शहीद हुए हो तथा उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो, पर लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में :–

(क) "**सीमान्त झड़प**" से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुश्मन या आतंकवादियों के साथ युद्ध जैसी गतिविधियों अभिप्रेत है;

(ख) "**आश्रित**" से शहीद जवान पर पूर्णतः आश्रित उसके परिवार के सदस्य अभिप्रेत है एवं इसमें माता–पिता, विधवा, बेरोजगार पुत्र जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है तथा अविवाहित, बेरोजगार, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री सम्मिलित है;

(ग) "**निदेशालय**" से सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(घ) "**अनुग्रह अनुदान**" से सरकार द्वारा शहीद के आश्रितों को दी गयी एकमुश्त अनुदान राशि अभिप्रेत है;

(ड.) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(च) "**शहीद**" से ऐसा सैनिक अभिप्रेत है जो युद्ध, सीमान्त झड़पों अथवा आंतरिक सुरक्षा अथवा दुश्मन/आतंकवादी के विरूद्ध जंगी कार्रवाई (ऑपरेशन) में मारा गया हो, और जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बैटल कैज्युल्टी या आप्रेशनल कैज्युल्टी का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो;

(छ) "**अर्द्धसैनिक बल** " से असम राइफल एवं विशेष सीमान्त बल (स्पेशियल फ्रंटीयर फोर्स) अभिप्रेत है;

(ज) "**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल**" से बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आई0एस0 एफ0, एस0एस0बी0 बल अभिप्रेत है;

(झ) "माता–पिता" से शहीद के माता और पिता अभिप्रेत हैं;

(ञ) "**विहित**" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "**रक्षा बल**" से सेना के तीनों अंगों यथा थल, जल एवं वायु सेना में सेवारत सैनिक अभिप्रेत है;

(ठ) "**विधवा**" से शहीद की विधिक पत्नी अभिप्रेत है।

## अध्याय दो

## अनुग्रह अनुदान हेतु अर्हता, प्रकिया एवं नियम और शर्तें

अर्हता नियम एवं शर्तें

3. (1) शहीद उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।

(2) दावेदार यथा विधवा/आश्रितों के विवरण का मिलान शहीद के सेवा अभिलेखों में रक्षित अभिलेखों से किया गया हो।

(3) रक्षा बल के लिए मृत्यु/अपघटना को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् एकीकृत मुख्यालय, (सेना) रक्षा मंत्रालय एम.पी. 5, 6 और सम्बंधित अभिलेख कार्यालय के भाग–दो आदेश तथा अर्द्धसैनिक बल एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए महानिदेशक कार्यालय द्वारा युद्ध अपघटना घोषित किया गया हो।

4. विधवा/आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं :–

(क) युद्ध अपघटना से सम्बंधित प्रारम्भिक रिपोर्ट।

(ख) युद्ध अपघटना सम्बंधित अभिलेख कार्यालय/ महानिदेशक कार्यालय का भाग–दो आदेश।

(ग) आश्रितों का सम्बंधित अभिलेख कार्यालय/ महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत नातेदारी प्रमाण पत्र।

(घ) डिस्चार्ज पुस्तिका।

(ड.) आश्रितों का पहचान पत्र।

(च) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा अनुग्रह अनुदान भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र।

(छ) अर्द्धसैनिक बल के लिए– महानिदेशक अर्द्धसैनिक बल द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी/आप्रेशनल कैज्युल्टी का प्रमाण पत्र।

(ज) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए– महानिदेशक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी/आप्रेशनल कैज्युल्टी का प्रमाण पत्र।

निषेध

5. शहीद होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान उन्हीं मामलों में किया जायेगा जहां विधवा/आश्रित ने मृत्यु का मुआवजा/सहायता उत्तराखण्ड सरकार से पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त न किया हो।

अनुग्रह राशि की मात्रा/भाग

6. (1) शहीद के विवाहित होने की दशा में––

(क) विधवा (वीर नारी).....विहित धनराशि का 60 प्रतिशत;

(ख) माता–पिता..... विहित धनराशि का 40 प्रतिशत;

परन्तु यह कि यदि माता–पिता जीवित नही है तो पूर्ण विहित धनराशि, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, विधवा (वीर नारी) को दी जायेगी तथा जहां विधवा (वीर नारी) जीवित नही है तो विहित धनराशि, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, का 40 प्रतिशत माता–पिता को तथा 60 प्रतिशत सभी आश्रित बच्चों में बराबर–बराबर बांट दिए जाएंगे।

(2) ऐसी स्थिति में जहां माता–पिता तथा विधवा (वीर नारी) जीवित नही है तो विहित धनराशि, जो कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, सभी आश्रित बच्चों में बराबर–बराबर बांट दिए जाएंगे।

(3) ऐसी स्थिति में जहां विधवा (वीर नारी) जीवित न हो और बच्चे भी न हों तो सम्पूर्ण विहित धनराशि, जो कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, माता–पिता को दिया जायेगा।

(4) ऐसी स्थिति में जहां शहीद अविवाहित अथवा विधुर हो, विहित धनराशि, जो कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, माता पिता को दिए जाएंगे।

## अध्याय तीन
## प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

अध्यारोही प्रभाव

8. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या निर्देश में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्राविधान विधि मान्य तथा प्रभावी होंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

9. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी तथा नियमावली में अंतिम निर्णय/परिवर्तन–परिवर्धन का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी को होगा;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

## कारण एवं उददेश्यों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य के युद्ध, आंतरिक सुरक्षा झड़पों, आंतकवाद संबंधी गतिविधियों आदि में शहीद हुए रक्षा बल एवं अर्द्धसैनिक बलों के आश्रित, सैनिकों की विधवा (वीर नारी), माता–पिता को भविष्य के जीवन–यापन हेतु एकमुश्त अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त व्यवस्था हेतु राज्य में कोई विधि व्यवस्था नही है। जिस कारण से उक्त विधेयक का लाया जाना अपरिहार्य है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

No. 26/XXXVI(3)/2021/79(1)/2020
*Dated Dehradun, January 27, 2021*

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant Act, 2020' (Act No. 05 of 2021).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 January, 2021.

## THE UTTARAKHAND MARTYR'S DEPENDENT EX-GRATIA GRANT ACT, 2020

(Uttarakhand Act No. 05 of 2021)

*An*

*Act*

to provide the one time ex-gratia grant to the widows/dependents of Martyrs of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy first year of Republic of India as follows:

### Chapter-I
### Preliminary

**Short title, extent and Commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant Act, 2020.

(2) It shall be applicable to the widows/ dependents of such martyrs of war, border skirmishes and internal security duties serving in Defiance Forces or Para Military Forces who attained martyrdom in said operations on or after 05 March 2014 and are permanent residents of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

**Definitions**

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

(a) **"Border skirmishes"** means war like activities against the enemies or militants along the international border, Line of Control or Line of Actual Control;

(b) **"Dependent"** means family members of martyr totally dependent on him and it includes parents, widow, unemployed son below the age of 25 years and unmarried, unemployed widow and divorced daughter;

(c) **"Directorate"** means directorate of Sanik Kalyan Evam Punarvas Uttarakhand;

(d) **"Ex-Gratia"** means one time grant amount given by the Government to the dependent of martyr;

(e) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;

(f) **"Martyr"** means a soldier killed during operational activities in war, border skirmishes or internal security or in any operations against the enemy/militants and to this effect a battle casualty or operational certificate is issued from competent officer;

(g) **"Para Military Forces"** means Assam Rifles, and Special Frontier Force.

(h) "**Central Armed Police Forces**" means forces like -BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB.

(i) **"Prescribed"** means as prescribed by the rules;

(j) **"Soldier"** means a soldier serving in Defence Forces of three wings viz Army, Navy and Air Force.

(k) **"Parents"** means mother and father of the martyr;

(l) **"Widow"** means legal wife of a martyr.

## Chapter- II

## Eligibility, Procedure, terms and conditions for ex-gratia grant

**Eligibility, Terms and conditions**

3. (1) Martyr should be permanent resident of Uttarakhand State.

(2) The details of the claimants, namely widow/dependents should be tallied/ confirmed with the service records of Martyr kept in his Records.

(3) The death/casualty is to be declared as 'Battle Casualty' by the competent authority namely Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) MP-5, 6 and Part II order from respective Record office for Defence Forces and office of respective Director General of Para Military Forces and Central Armed Police Forces.

**Documents**

4. The following documents are required for payment of Ex-Gratia Grant to the widows/dependents :-

(a) Initial report regarding reporting of Battle Casualty/operational casualty.

(b) Battle Casualty Part II order from concerned Record office/ Director General office.

(c) Relationship certificate of dependents issued from concerned Record Office/ Director General office.

(d) Discharge Book.

(e) Identity Card of dependents.

(f) Certificate from Zila Soldier Welfare Officer regarding non-payment of Ex-Gratia Grant.

(g) For Para Military Forces- Battle casualty/Operational casualty certificate issued from Director General Para Military Forces.

(h) For Central Armed Police Forces battle casualty/operational casualty certificate issued from Director General of the respective forces.

**Prohibition**

5. The Ex Gratia Grant on attaining martyrdom is payable only in such cases where widow/dependent has not received any death compensation/ assistance from any other scheme of Uttarakhand Government earlier.

**Quantum of ex-gratia grant**

6. (1) In case of married martyr –

(a) Widow (Veer Nari) - 60 % of Prescribed Amount;

(b) Parents – 40 % of Prescribed Amount;

Provided that if parents are not alive, the entire prescribed amount, which shall be determined by the State Government from time to time, shall be given to widow (Veer Nari) and where the widow (Veer Nari) is not alive, 40% of the prescribed amount, which shall be determined by the state government from time to time. shall be given to Parents and 60% of prescribed amount shall be distributed equally among dependent children.

(2) In a situation where parents and widow (Veer Nari) are not alive prescribed amount, which shall be determined by the State Government from time to time which shall be determined by the State Government from time to time shall be distributed equally among dependent Children.

(3) In a situation where the widow (Veer Nari) is not alive and does not have children, the entire prescribed amount which shall be determined by the State Government from time to time shall be given to the parents.

(4) In a situation where Martyr is unmarried or widower prescribed amount shall be given to parents.

## Chapter –III
## Miscellaneous

**Power to make rules**

7. The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

**Overriding effect**

8. Notwithstanding anything contrary contained in any other Act or judgment/ decree/ order or directions of any court, the provisions of this Act shall be valid and effective.

**Power to remove difficulties**

9. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty, Honorable chief minister will have the right to final decision/ change - addition in this manual.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
*Principal Secretary.*

## STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

It is necessary to provide one time Ex Gratia Grant for livelihood in future to dependents, widow (Veer Nari), parents of soldier of Defence Forces and Para Military Forces killed in war, border skirmishes and internal security of Uttarakhand State.

2. No law is provided for that reason so it is inevitable to bring said Bill.

3. The a proposed Bill fulfills the said objectives.

Trivendar Singh Rawat
Chief Minister.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधायी / 52–2021–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।